भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2789
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों का विकास

2789 .श्री देवेश शाक्यः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के विकास हेतु आवंटित निधि का योजनावार और ग्राम-पंचायतवार, विशेषकर कासगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों हेतु, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को विशेषकर एटा, कासगंज के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निधि के उपयोग और व्यय तथा संबंधित विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायक और पूरक है, जिसमें योजनाओं के तहत निधि सहायता के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज और उनके विकास के लिए वित्त आयोगों के तहत अनुदान भी शामिल हैं। वर्तमान में, 28 राज्यों में पंचायतों और पारंपरिक निकायों के सभी तीन स्तरों में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को पंद्रहवां वित्त आयोग (XV FC) अनुदान प्रदान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान (i) पंद्रहवें वित्त आयोग (ii) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना और (iii) पंचायतों को प्रोत्साहन (आईओपी) जिसके अंतर्गत सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं की प्रदायगी में सुधार के लिए उनके श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली

पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन सहित अवार्ड दिए जाते हैं, के तहत ग्राम पचायतों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय वित्त आयोग	आरजीएसए#	आईओपी
2021-22	7,208.00	83.08	4.78
2022-23	7,466.00	85.05	3.83
2023-24	7,547.00	84.126	1.75
कुल	**22,221.00**	**252.256**	**10.36**

केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान सीधे पंचायतों को नहीं को बल्कि राज्यों को जारी किया जाता है तथा राज्यों को पंचायत के सभी स्तरों को धनराशि जारी करने का अधिकार है। साथ ही, आरजीएसए की योजना के तहत, जिलों या ग्राम पंचायतों को धनराशि सीधे उपलब्ध नहीं कराई जाती है बल्कि राज्यों को जारी की जाती है जो योजना के उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों के लिए पंचायतों पर खर्च करते हैं। आईओपी योजना के तहत, 2021-22 से पंचायतों को धनराशि सीधे जारी की जाती है और 2021-22 में, एटा जिले की ग्राम पंचायत खावा को 8 लाख रुपये जारी किए गए।

केंद्रीय वित्त आयोग और मंत्रालय की योजनाओं के तहत निधि व्यवस्था एटा और कासगंज संसदीय क्षेत्र की पंचायतों सहित सभी पंचायतों के लिए है।

15वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं के लिए किया गया है। टाइड अनुदान का उपयोग बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से पेयजल और स्वच्छता के लिए किया जाना है। आरजीएसए योजना के तहत निधि का उपयोग पीआरआई के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और सहायक उपकरणों के लिए किया गया है। आईओपी योजना के तहत निधि का उपयोग राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिताओं के तहत चयनित सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं की प्रदायगी में सुधार के लिए उनके श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने हेतु सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया गया है। निधि के उपयोग की जानकारी मंत्रालय के ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

***